UPMT010015632026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय संख्या 03, जनपद मथुरा
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–727/2026
रामजी लाल आदि प्रति उ.प्र. राज्य

आदेश

1. मु.अ.सं. 102/2026, धारा– 115(2), 352, 351(2), 74, 125 भारतीय न्याय संहिता, थाना हाईवे, जिला मथुरा के अभियुक्तगण **रामजी लाल व खेमचन्द** की ओर से स्वयं को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिया योगेन्दी निवासी नगला गिरधारी, थाना हाईवे, जनपद मथुरा, चौकी सतोहा की निवासी है। दिनांक 30.01.2026 को प्रार्थिया अपने प्लाट से घर आ रही थी, तभी रामजीलाल, खेमचन्द पुत्र रामजीलाल, शशि ने प्रार्थिया को देखकर गाली देने लगी कि तूने आरओ प्लांट क्यों खोल दिया। प्रार्थिया ने इसका विरोध किया, तो उक्त लोगों ने प्रार्थिया को पीटना शुरू कर दिया और सड़क पर डालकर पीटा, जिससे उसके कपड़े फट गए और चोटी पकड़कर भी मारपीट की गई। अभियुक्तगण का एक ड्राइवर, जो पॉक्सो एक्ट का मुल्जिम है, इन लोगों ने उससे कहा कि हम तमचा दे देंगे प्रर्थिया को मार डाल। घटना देखकर प्रार्थिया का पुत्र मौके पर आया, तो आरोपियों द्वारा उसके साथ भी लाठी–डंडे व फावड़े से मारपीट की गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। आरोपियों द्वारा प्रार्थिया को जान से मारने की धमकी दी गई तथा 3–4 गाड़ियों में गुण्डे को बुलाकर प्रार्थिया के घर के गेट पर लात व ईंट से हमला किया गया। सूचना पर डायल 112 पुलिस के पहुंचने पर सभी आरोपी मौके से भाग गए। अतः निवेदन है कि उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जाए।
3. उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं०– 102/2026, धारा– 115(2), 352, 351(2), 74, 125 भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) पंजीकृत किया गया।
4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र पर बल देते हुए मुख्यतः कथन किए गए हैं कि प्रार्थी/अभियुक्तगण को कतई झूठा एवं गलत फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण पर दर्शित धाराओं का प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है। वादी मुकदमा के द्वारा घटना की कोई भी तिथि व समय अपनी रिपोर्ट में अंकित नहीं की गई है तथा रिपोर्ट तकरीबन 14 घण्टे विलम्ब से है तथा विलम्ब का कोई कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं किया गया है। अभियुक्तगण का वादी मुकदमा पड़ोसी है तथा प्रार्थीगण के आर.ओ. प्लांट को चिड़ व रंजिश मानता है, जिस कारण प्रार्थीगण के आर ओ. प्लांट पर कार्य करने वाले कर्मचारियों से आये दिन झगड़ा–फसाद करते रहते हैं। अभियुक्तगण के परिवारीजन द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) बी.एन.एस.एस. सी.जे.एम. महोदय, मथुरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो विचाराधीन है। वादी मुकदमा के परिवारीजन राजनैतिक पहुँच रखते हैं, जिस कारण प्रार्थीगण के विरूद्ध थाना हाईवे पुलिस से साज कर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मारपीट, छेड़खानी किसी भी व्यक्ति अथवा महिला के साथ नहीं की गई है। प्रार्थी/अभियुक्तगण से किसी प्रकार का किसी साक्ष्य से छेडखानी अथवा प्रभावित करने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त कोई

अन्य जमानत प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय तथा किसी अन्य उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्तगण पूर्व साजायाफ्ता नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त आधार पर दौरान विचारण अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी ।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध कर प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी।
6. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना, जमानत पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या व संलग्न सी.डी. का अवलोकन किया गया।
7. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण के स्तर पर **धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता)** के तहत इस न्यायालय से यह अपेक्षित है कि, वह निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करे–
   (1) अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता,
   (2) आवेदक का पूर्ववत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि, क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है ?
   (3) न्याय से भागने की सम्भाव्यता और,
   (4) जहाँ आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो, या आवेदन तत्काल अस्वीकृत कर सकता है या अग्रिम जमानत स्वीकार करने के लिए अंतरिम आदेश जारी कर सकता है।
8. अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा मुकदमा वादिनी से गाली–गलौज करते हुए मारपीट की गई, जिससे उसके कपड़े फट गए तथा उसे शारीरिक चोटें आईं। यह भी आरोप है कि वादिनी के पुत्र के साथ भी मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई।
9. आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उन्हें झूठा एवं द्वेषवश फंसाया गया है। पक्षकार आपस में पड़ोसी हैं और आर.ओ. प्लांट को लेकर पूर्व से रंजिश चली आ रही है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वे पूर्व में कभी दण्डित नहीं हुए हैं। यह भी आश्वासन दिया गया है कि वे जांच में सहयोग करेंगे तथा साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेंगे।
10. उल्लेखनीय है कि सहअभियुक्ता शशि द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 160/2026 वादी पक्ष पर समान घटना दिनांक दर्शित करते हुए दर्ज कराई गयी है। अभियोजन को क्रॉस केस से इंकार नहीं है। अभियोजन की ओर से इस घटना में किसी चुटैल की कोई चोट प्राणघातक प्रकृति की हो, ऐसा अभियोजन पक्ष का कोई तर्क नहीं है। जहाँ तक कथित अपराध का प्रश्न है, उसका निर्धारण साक्ष्योपरांत ही किया जा सकता है। विवेचना अभी प्रचलित है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना प्रकरण के गुणदोष पर कोई मत प्रकट किए, आवेदक/अभियुक्तगण को निम्न शर्तों के अधीन दौरान विचारण अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है–
    1– आवेदक/अभियुक्तगण दौरान विचारण, न्यायालय को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे और अपने स्तर से विचारण में कोई विलम्ब कारित नहीं करेंगे,
    2– आवेदक/अभियुक्तगण उक्त प्रकरण के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को तथ्य प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरण, धमकी या प्रलोभन नहीं देंगे और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेंगे,
    3– आवेदक/अभियुक्तगण बिना न्यायालय की अनुमति व आदेश के भारत नहीं छोड़ेंगे,

4– आवेदक/अभियुक्तगण ऐसा अपराध, जिसे करने का उन पर अभियोग या संदेह है, वैसा कोई अपराध नहीं करेंगे और उनके द्वारा विचारण में सहयोग न देने की शिकायत पर जाँचोपरान्त किसी भी क्षण अग्रिम जमानत निरस्त की जा सकेगी।

निष्कर्षतः आवेदकगण/अभियुक्तगण **रामजी लाल व खेमचन्द** को मु.अ.सं. 102/2026, धारा– 115(2), 352, 351(2), 74, 125 भारतीय न्याय संहिता, थाना हाईवे, जिला मथुरा के प्रकरण में यदि गिरफ्तार किया जाता है, तो अभियुक्तगण को मुवलिग पचास–पचास हजार रुपये की दो–दो जमानतें व इतनी ही धनराशि का निजी बंधपत्र सम्बन्धित थाने के भारसाधक अधिकारी/मामले के विवेचक के समक्ष प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा कर दिया जावे, जिसकी लिखित सूचना संबंधित न्यायालय को भी दी जायेगी।

आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा एवं सम्बन्धित थानाध्यक्ष को प्रेषित की जाये।

दिनांक 17.03.2026

(अरविन्द कुमार यादव–II)
प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03, मथुरा
ID– UP 6351